भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(विभागराजस्व)

<u>अधिसूचना</u>

स-26/2015 .केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली , 30 अप्रैल, 2015

सा0का0नि0.......(अ).-- केंद्रीय सरकार, वित्त (सं.2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 91 और 93 के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 14/2015-कैंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2015 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 144(अ), तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, पैरा के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित की जाएंगी -

“स्पष्टीकरण-इस अधिसूचना के अंतर्गत दी जाने वाली छूट उत्पाद शुल्क वाले उन सामानों पर लागू होती है जिनका उत्पादन या विनिर्माण शत-प्रतिशत निर्यात करने वाली इकाइयों द्वारा किया जाता है और उन्हें विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अनुसार भारत के किसी अन्य स्थान पर ले आया जाता है”

(फा.सं. 334/5/2015-टीआरयू)

(अक्षय जोशी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 14/2015-कैंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2015, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 144(अ), तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।